चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(2)साप्र/2/2019 जयपुर, दिनांकः 01.08.2019

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत नगरीय निकायों के (संलग्न सूची अनुसार) उपचुनाव से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। उपचुनाव दिनांक **04.08.2019** को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएें।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(बृज मोहन शर्मा) 1/8/19
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी)मुख्यमंत्री कार्यालय, को उनकी आईडी संख्या F19002960 दिनांक 01.8.2019 के कम में।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 18.7.19 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
12. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. समस्त संभागीय आयुक्त।
14. समस्त जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी)।
15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
18. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
19. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
23. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3)विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
24. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव 1/8/19

Scanned by CamScanner

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(10)नपा/रानिआ/2019/ 2415 दिनांक 18/07/19

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकाय के उपचुनाव अगस्त, 2019 –आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 10 जिलों की 1 नगरनिगम के 2 वार्डों, 2 नगरपरिषदों के 2 वार्डों, 8 नगरपालिकाओं के 9 वार्डों के कुल 13 वार्डों के सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने के लिये कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रमानुसार उप चुनाव के लिये मतदान दिनांक 04.08.2019 को होगा और निर्वाचन हेतु अधिसूचना दिनांक 19.07.2019 को जारी होगी। घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रकिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुड़े सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

संलग्नः– 1. रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

आज्ञा से

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांकः एफ.4(1)(10)नपा/रानिआ/2019/ 2416 दिनांक 18/07/19

प्रतिलिपिः– जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, चुरू, जयपुर, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, करौली, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

21

Scanned by CamScanner

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(2)साप्र/2/2019 जयपुर, दिनांकः 01.08.2019

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत नगरीय निकायों के उपचुनाव (संलग्न सूची अनुसार) दिनांक 04.08.2019 को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(बृज मोहन शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव; लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव(जीबी)मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या F19002960 दिनांक 01.8.2019 के कम में।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 18–22.7.19 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
12. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. समस्त संभागीय आयुक्त।
14. समस्त जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी)।
15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
18. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
19. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. निजी सचिव, [illegible] सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
23. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
24. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
जयपुर
संख्या : 2196
दिनांक : 25/7/19

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(10)नपा / रानिआ / 2019 / 2413 — दिनांक 18/7/2019

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :–नगरीय निकाय के उपचुनाव अगस्त, 2019–मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 10 जिलों की 1 नगरनिगम के 2 वार्डो, 2 नगरपरिषदों के 2 वार्डो, 8 नगरपालिकाओं के 9 वार्डो के कुल 13 वार्डो के सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने के लिये कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रमानुसार मतदान दिनांक 04.08.2019 को होगा और निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 19.07.2019 को जारी होगी।

अतः दिनांक 04.08.2019 को मतदान दिवस पर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्नः– 1. रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय

(शुचि त्यागी)
सचिव

क्रमांकः एफ.4(1)(10)नपा / रानिआ / 2019 / 2414 — दिनांक 18-8-2019

प्रतिलिपिः– जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ,अजमेर, चुरू, जयपुर, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, करौली, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

Scanned by CamScanner

नगरीय निकाय उपचुनाव की रिक्तियों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरनिगम/नगरपरिषद/ नगर पालिका का नाम	रिक्त वार्ड संख्या
1.	अजमेर	न.नि. अजमेर	22
			52
		न.पा. सरवाड	14
2.	चूरू	न.पा. तारानगर	21
3.	जयपुर	न.पा. किशनगढ़ रेनवाल	19
4.	हनुमानगढ़	न.पा. नोहर	27
			10
5.	झुन्झुनू	न.पा. सूरजगढ़	14
6.	करौली	न.प. हिण्डौन सिटी	13
7.	पाली	न.पा. तख्तगढ़	4
8.	सिरोही	न.पा. आबूरोड़	13
9.	प्रतापगढ़	न.प. प्रतापगढ़	02
10.	श्रीगंगानगर	न.पा. श्रीकरणपुर	19

नगरीय निकाय उपचुनाव कार्यक्रम

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	19.07.2019 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	23.07.2019 (मंगलवार)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	24.07.2019 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	26.07.2019 (शुक्रवार) (अपरान्ह 3.00 बजे तक)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	27.07.2019 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि (मतदान यदि आवश्यक हुआ तो)	04.08.2019 (रविवार) (प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक)
7.	मतगणना	06.08.2019. (मंगलवार) (प्रातः 8 बजे से)

Scanned by CamScanner